



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-
LUCKNOW

PRINT DATE :- 04/02/2017

APPLICATION NO: 50358
WARD:
PERMIT NO: 41052
SITE OF: GROUP HOUSING
SECTOR:
NAME: BALAJI ENTERPRISES
Address: 3/271, VISHWAS KHAND GOMTI NAGAR LUCKNOW
Sanction vide order dated 20/07/2016 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below
Date of Validity: 19/07/2021 or expiry date of Lease deed whichever is earlier

FILE NO : NR-120/EE/M.CELL/2015
SCHEME : Non Scheme-Map Approval

PROPERTY NO 147 & 149, ARDAUNA MAU, GOMTI NAGAR

24/2.17

Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P

प्रतिबन्ध-

1. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेबर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सनिश्चित करना होगा।
3. शासनादेश के कम में समस्त भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग का विकास आदि का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड. के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होगा।
5. भविष्य में यदि किसी प्रकार की देयता निकलती है तो मांगे जाने पर यथा शीघ्र जमा करनी होगी।
6. भवन निर्माण के उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, तदोपरान्त ही भवन के कय-विकय की कार्यवाही की जायेगी।
7. भवन निर्माण के उपरान्त सेवाओं यथा- सीवर, विद्युत, वर्षा जल निकास आदि मुख्य सेवाओं का उत्तर दायित्व पक्ष का होगा।
8. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेबरएक्ट के प्राविधानों के अनुरूप करना होगा।
9. विकलांग, दृष्टिबाधित व आशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध करना होगा।
10. जिलाधिकारी से खनन पर अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
11. प्रशंगत भूमि/भवन के सम्बन्ध में यदि किसी भी प्रकार का तथ्य छुपाये जाने की पुष्टि होती है तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
12. स्वीकृत मानचित्र परमिट को भूमि का स्वामित्वाधिकार नहीं समझा जायेगा तथा सम्पत्ति के कय-विकय हेतु अपना स्वामित्व स्वतः प्रमाणित किया जायेगा।
13. पार्किंग स्थल का प्रयोग पार्किंग के रूप में ही करना होगा, अन्य उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
14. प्रस्तुत शपथ पत्र के कम में यातायात विभाग की अनापत्ति 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी।

Handwritten signature and date: 07/02/17